राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ-4(ई)ा/ एपीओ/अलेसे-ाा/17280-291 दिनांकः 18-10-13

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(ाा) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ–2(16)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 10.10.2013 एवं एफ–2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 11.10..2013 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती हैः–

क. सं	नाम लेखाकर्मी सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहॉ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब	से कब तक	
1	2	3		4
लेखाकार				
1	सुमेर सिंह झाझडिया (372/83)	01-07-13 to 16-7-13		कोषालय, झून्झुनू
क0 लेखाकार				
2	भंवर सिंह शेखावत	18.7.13 से 5.9.13		कोषालय, ग्रामीण, जोधपुर
3	हनुमान अग्रवाल	22.7.13 से 5.9.13		कोषालय, सचिवालय, जयपुर
4	मांगी लाल सोलंकी	22.7.13 से 6.9.13		कोष एवं लेखा निदेशालय जयपुर

(वीर बाला जोशी)
निदेशक
दिनांकः 18-10-13

कमांकः एफ–4(ई)ा/ एपीओ/अलेसे-ाा/ 17280-291
प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष———को
   भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का **गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही** आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें ।
2. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. सहायक निदेशक,अलेसे–ा/ाा मय अतिरिक्त प्रतियॉ
4. श्री———————————————————लेखाकार/ क0लेखाकार कार्यालय———को
   निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग /कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं **प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।**
5. निजी सहायक,निदेशक
6. निजी पत्रावली

(कजोड़ मल मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–ा)